

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

रुडाराम वगै०

बनाम

भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु०नं० 250 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/459

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

125 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री कुंज बिहारी शर्मा उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2025 को पेश हो।



पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच्चि  
आज अदालत में अर्ज का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 20/6/25 को पेश हो।

20/06/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीया अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 23.05.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीया सीमाज्ञान दिनांकित 23.05.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

## आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम न्योराना पटवार हल्का डोकन तहसील पाटन अवस्थित ख.नं. 806/229 व 805/229 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 23.05.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना